| आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|
| 3 |

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

06-06-19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
राजस्व विविध वाद सं0–01/2018–1'9
मो0 बख्तियार शेख
बनाम
भादु शेख वगै0
आदेश

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 1571/रा0 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा उनके राजस्व विविध वाद संख्या– 04/17 (मो0 बख्तियार शेख –बनाम– भादु शेख वगै0) का मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। वाद को अंगीकृत करते हुए उभय पक्षों को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

इस राजस्व विविध वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

| मौजा | जमाबंदी न0 | दाग न0 | रकवा |
|---|---|---|---|
| फरीदपुर | 146 | 319 | 12–00–04 |

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा फरीदपुर के सर्वे खतियान के खाता संख्या 146 दाग न0 319 रकवा 12–00–04 धूर किस्म पोखर अनावादी खाता दर्ज है। पोखर के जलकर पर आवेदको के पूर्वजों का दखल रहा था। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी, राजमहल के क्रि0मि0 वाद संख्या 535/16 के द्वारा आवेदक बख्तियार शेख वगै0 के पक्ष में फैसला है। फलस्वरुप आवेदक के द्वारा उक्त पोखर में मछली मारने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना हे कि प्रश्नगत जमीन एक तालब है जो 12–00–04 धूर भूखण्ड पर अवस्थित है। उक्त तालाब गत सर्वे रिपोर्ट में खतियान में अनाबादी खास, राजगिरी तालाब कहकर पंजी–II में दर्ज है। फलस्वरुप आवेदक द्वारा उक्त तालाब को नीजी सम्पत्ति होने का दावा करना सरासर गलत है। इस हेतु विपक्षीगण का अनुरोध है कि मौजा–फरीदपुर के जमाबंदी न0 146 दाग न0 319 रकवा 12–00–04 धूर जमीन जो अनाबादी राजगिरी पोखर के नाम से पंजी–II में दर्ज है, के फर्जी जमाबंदी को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के राजस्व विविध वाद संख्या 04/17 (बख्तियार शेख –बनाम्– भादु शेख) में पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि पंजी–II का अवलोकन करने से पाया गया कि रौशन शेखदीगर का नाम किस प्रकार इन्द्राज किया गया है, इसका कोई जिक्र नही है। एवं रौशन शेख वगै0. ने किस प्रकार खरीद किया है, उसका भी कोई कागजात आवेदक के पास उपलब्ध नही है। जबकि रौशन शेख वगैरह के नाम से वर्ष 1962–63 से कई भू–लगान निर्गत है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत स्पष्ट है कि इस वाद का निपटारा इस न्यायालय में संभव नहीं है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा, Bihar Land Reforms Act 1950 की धारा 4(h) के तहत् कार्रवाई के निदेश के साथ निष्पादित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

88/भू0
10/08/